

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26122024-259633  
SG-DL-E-26122024-259633असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]	दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2024/ पौष 3, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 303
No. 333]	DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946	[N. C. T. D. No. 303

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2024

सं. फा. 5(1615)/PSB/2023/EWS/अधिसूचना/7134-7148.—दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के छात्रों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011, अधिसूचना संख्या 15(172) DE/ अधिनियम/2010/69 दिनांक 07.01.2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

जबकि, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के दिनांक 07.10.2013 के निर्णय के अनुपालन में, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 3168/2013 में हिमांगी बनाम जीएनसीटी ऑफ दिल्ली शीर्षक से पारित, दिनांक 07.01.2011 के आदेश के खंड 2 (सी) को इस सीमा तक संशोधित किया गया था कि "कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चे" अभिव्यक्ति में आने वाले वाक्यांश "पिछले तीन वर्षों से" को परिपत्र संख्या डीई-15/एक्ट-1/डब्ल्यूपीसी संख्या 3168/13/2013/11734-11738 दिनांक 14.11.2013 के तहत हटा दिया गया था;

जबकि, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 4006/2021 में दिनांक 05.12.2023 के निर्णय के तहत मास्टर सिंघम बनाम शिक्षा निदेशालय एवं अन्य.. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.01.2011 के आदेश के खंड 2 (सी) के तहत

आवश्यक आय को 1 लाख रुपये के बजाय 5 लाख रुपये करने का निर्देश दिया;

जबकि, शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रस्तुत एल.पी.ए. संख्या 120/2024 में पारित दिनांक 05.03.2024 के आदेश के अनुसार, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 4006/2021 में दिनांक 05.12.2023 के विवादित निर्णय के पैरा-119 में दिए गए निर्देशों पर रोक लगा दी गई है और अंतराल में ईडब्ल्यूएस के तहत प्रवेश के लिए आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने का निर्देश दिया गया है।

जबकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुपालन में तथा दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (18, 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत, दिल्ली विद्यालय शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के छात्रों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011 को दिनांक 12.11.2024 की अधिसूचना द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया गया था-

"दिल्ली विद्यालय शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के छात्रों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011 के खंड 2 के उपखंड (सी) में, शब्द "का अर्थ है ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है तथा जो पिछले तीन वर्षों से दिल्ली में रह रहा है" प्रतिस्थापित किया गया है "अर्थात् वह बच्चा जिसके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रुपये से कम है तथा जो दिल्ली में रह रहे हैं"

जबकि, माननीय उपराज्यपाल द्वारा 2.5 लाख की सीमा की समीक्षा करने के निर्देश तथा शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुसरण में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के अधिक समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

अब, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के छात्रों के लिए मुफ्त सीटें) आदेश, 2011 को निम्नानुसार संशोधित करते हैं

दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूह के छात्रों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश 2011 के खंड 2 के उप-खंड (सी) में, "अर्थात् वह बच्चा जिसके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रुपये से कम है और जो दिल्ली में रह रहे हैं" को निम्न से प्रतिस्थापित किया गया है "अर्थात् वह बच्चा जिसके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है और जो दिल्ली में रह रहे हैं"।

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम से तथा आदेश द्वारा,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

शिंंगारे रामचंद्र महादेव, एक्स ऑफिसियो अतिरिक्त शिक्षा सचिव

**DIRECTORATE OF EDUCATION****NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd December, 2024

**No. F. 15 (1615)/PSB/2023/EWS/Notification/7134-7148.**—The Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order, 2011, was published vide Notification No. 15(172)DE/Act/2010/69 dated 07.01.2011;

Whereas, in compliance of the Hon'ble High Court, Delhi judgement dated 07.10.2013 passed in W.P. (C) No. 3168/2013 titled Himangi Vs. GNCT of Delhi, the clause 2 (c) of the order dated 07.01.2011 was amended to the extent that the phrase "for the last three years" appearing in the expression "Child belonging to weaker sections" was removed vide Circular No. DE-15/Act-1/WPC No. 3168/13/2013/11734-11738 dated 14.11.2013;

Whereas, vide judgement dated 05.12.2023 passed in W.P. (C) No. 4006/2021 titled Master Singham Vs. Directorate of Education & Anr.. the Hon'ble High Court of Delhi directed to increase the required income under Clause 2 (c) of order dated 07.01.2011 to Rs. 5 lakhs instead of Rs 1 lakh;

Whereas, vide order dated 05.03.2024 passed in L.PA No. 120/2024, titled as Directorate of Education Vs. Master Singham & Anr. preferred by Directorate of Education, the directions in Para-119 of the impugned judgement dated 05.12.2023 in W.P.(C) No. 4006/2021 has been stayed and the threshold income for admission under EWS in interregnum is directed to be increased to Rs. 2.5 lakhs.

Whereas, in compliance of said directions of Hon'ble High Court of Delhi and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School Education Rules, 1973 and under the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order, 2011, was amended vide Notification dated 12.11.2024 as under-

"In sub-clause (c) of clause 2 of the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order 2011, the words "means a child whose parents have total annual income of less than one lakh rupees from all sources and who have been staying in Delhi for the last three years" shall be substituted with "means a child whose parents have total annual income of less than two lakh and fifty thousand rupees from all sources and who have been staying in Delhi"

Whereas, in pursuance of directions of Hon'ble Lt. Governor to review the threshold income limit of 2.5 lakhs and recommendations of Committee constituted by the DoE therein to increase the EWS income limit under RTE Act 2009 from Rs 2.5 lakhs to Rs 5 lakhs to ensure greater inclusion of the EWS children.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School Education Rules, 1973 and under the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Delhi School Education (Free Seats for Students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order, 2011, as under :-

In sub-clause (c) of clause 2 of the Delhi School Education (Free Seats for students belonging Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order 2011, the words "means a child whose parents have total annual income of less than two lakhs and fifty thousand rupees from all sources and who have been staying in Delhi " shall be substituted with "means a child whose parents have total annual income of less than five lakhs rupees from all sources and who have been staying in Delhi."

The notification shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Ex-Officio Addl. Secretary (Education)